न्यायालय: अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज) फलोदी
पीठासीन अधिकारी : जयपाल जाणी (RJS)(DJ Cadre)
सेशन प्रकरण संख्या: 49/2016 (79/2012)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–48/2011 पुलिस थाना लोहावट

CIS NO. 48/2016 CNR NO. RJPH01-000212-2016

राजस्थान राज्य ....**अभियोगी**

बनाम

बल्लाराम पुत्र जेताराम, उम्र–62 वर्ष, निवासी कोलू पाबूजी, पुलिस थाना लोहावट, जिला फलोदी (राज.)

.........**अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश कड़वासरा विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य।
2. श्री बी.आर. गोदारा, श्री रामप्रकाश माली अधिवक्तागण अभियुक्त।

–: **निर्णय** :– **दिनांक: 29.07.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 31.03.2011 को 11:00 ए.एम. पर रामचन्द्रसिंह, थानाधिकारी पी.एस. लोहावट को जरिये मुखबिर टेलीफोन पर इत्तला मिली कि कोलू पाबूजी में पाबू छंवरा, मेगा हाईवे पर महादेव होटल पर बल्लाराम पुत्र जेताराम, निवासी कोलू पाबूजी अवैध डोडा पोस्त का धंधा करता है एवं आज बल्लाराम की होटल में भारी मात्रा में डोडा पोस्त रखा हैं, जिसे वह बेचने की फिराक में है, तलाशी ली जाये तो भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद हो सकता है। सूचना विश्वसनीय होने से रपट रोजनामचा आम में अंकित कर मुखबिर इत्तला उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु कानि. डूंगरराम नं. 665 को रवाना किया तथा वह ASI मोतीसिंह, कानि. ओपाराम, डूंगरसिंह व चालक सुमेरसिंह के साथ मय अनुसंधान बॉक्स थाने से 11.40 ए.एम. पर रवाना होकर 12.15 पी.एम. पर कोलू पाबूजी पहुंचे। वहां सुमेरसिंह को स्वतंत्र मोतबिर तलब कर लाने हेतु तहरीर देकर रवाना किया, जो गिरधरसिंह, निवासी कोलू पाबूजी व मेहबूब खां निवासी होपारडी को तलब कर लाया। दोनों मौतबिरान को मुखबिर

की इत्तला से अवगत करवाकर मौतबीर बनने की सहमति प्राप्त कर 12.40 PM पर कोलू पाबूजी मेगा हाईवे पर स्थित महादेव होटल पहुंचे, जहां एक व्यक्ति बैठा मिला, जिसे नाम पता पूछा तो अपना नाम बलाराम पुत्र जैताराम, निवासी कोलू पाबूजी होना बताया। उसे मुखबिर इत्तला से अवगत करवाया जाकर तलाशी लेने की सहमति प्राप्त कर फर्द सहमति मुर्तिब की गई एवं मोतबिरान , जाब्ता व एस.एच.ओ की तलाशी लेने हेतु बल्लाराम को अनुमति दी गई तो उनकी तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली । बल्लाराम व होटल की तलाशी लेने पर होटल में पूर्व दिशा में बने कमरे में खाली बोरियों के नीचे छिपाकर रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे में पीसा हुआ अफीम डोडा पोस्त चूरा पाया गया। बल्लाराम को डोडा पोस्त चूरा अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेंस व परमिट का पूछा तो उसने अपने पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस नहीं होना बताया। डोडा पोस्त चूरा का वजन करने पर कट्टे सहित कुल वजन 9 किलो 400 ग्राम होना पाया गया। उक्त डोडा पोस्त चूरा में से 500 ग्राम नमूना सैम्पल व 500 ग्राम कंट्रोल सैम्पल हेतु प्लास्टिक की थैलियों में लिया जाकर उनको कपड़े की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क **A** व B अंकित किया। शेष बचे डोडा पोस्त चूरा को पुनः उसी कट्टे में डालकर कट्टे को सील चेपा कर मार्क **C** अंकित किया तथा बल्लाराम को गिरफ्तार किया। बाद मौका कार्यवाही थाना पहुँच मुकदमा संख्या 48/2011 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान सीताराम एस.आई. थानाधिकारी पुलिस थाना जांबा को सुपुर्द किया गया......इत्यादि। बाद अनुसंधान अभियुक्त बल्लाराम के विरूद्ध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज, जोधपुर में प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

2. तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक Gen/TRC/16.02.2016 दिनांक 21/22.07.2016 की पालना में उक्त प्रकरण अंतरित होकर दिनांक 22.08.2016 को इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त बल्लाराम को धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न गवाहान को परीक्षित करवाया गयाः–

क्रम संख्या	गवाहान का नाम
1.	P.W.-1 डूंगरसिंह (FC No. 669 PS लोहावट)
2.	P.W.-2 मेहबूब (स्वतंत्र मौतबिर)
3.	P.W.-3 डूंगरराम (FC No. 665 PS लोहावट) धारा 42 एन.डी.पी.एस. की सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का गवाह
4.	P.W.-4 गिरधरसिंह (स्वतंत्र मौतबिर)
5.	P.W.-5 ओपाराम (FC No. 126 PS लोहावट) जाब्ता सदस्य
6.	P.W.-6 नरेश कुमार, (FC No.700 PS लोहावट) सैम्पल केरियर
7.	P.W.-7 किशन प्रकाश (हल्का पटवारी मंडला कला)
8.	P.W.-8 सुमेरसिंह (स्वतंत्र गवाह)
9.	P.W.-9 पेपाराम (स्वतंत्र गवाह)
10.	P.W.-10 देवीसिंह (स्वतंत्र गवाह)
11.	P.W.-11 रामचन्द्रसिंह (SHO PS लोहावट) बरामदगीकर्ता
12.	P.W.-12 मोतीसिंह (ASI PS लोहावट) जाब्ता सदस्य
13.	P.W.-13 भाकरराम (HC PS लोहावट) मालखाना इंचार्ज
14.	P.W.-14 श्रवण कुमार (SP, जोधपुर ग्रामीण कार्यालय में कार्यरत FC No. 657) अग्रेषण पत्र तैयारकर्ता
15.	P.W.-15 सीताराम (SHO PS जांबा) अनुसंधानकर्ता

5. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

क्रम सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी–1	फर्द सहमति मौतबिरान
2.	प्रदर्श पी–1 ए	थानाधिकारी, पी.एस. लोहावट द्वारा नमूना रासायनिक परीक्षण हेतु भिजवाये जाने बाबत एस.पी. जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित पत्र
3.	प्रदर्श पी–2	फर्द बरामदगी अवैध डोडा पोस्त
4.	प्रदर्श पी–3	फर्द नजरी नक्शा बरामदगीस्थल

5.	प्रदर्श पी–4	फर्द वजूहात गिरफ्तारी अभियुक्त बल्लाराम
6.	प्रदर्श पी–5 व 6	धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना
7.	प्रदर्श पी–7	फर्द नमूना सील
8.	प्रदर्श पी–8	रोड सर्टिफिकेट
9.	प्रदर्श पी–9	सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने हेतु एस.पी. जोधपुर ग्रामीण कार्यालय द्वारा जारी अग्रेषण पत्र
10.	प्रदर्श पी–10	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जारी प्राप्ति रसीद
11.	प्रदर्श पी–11 व 12	पाबू छंवरा के खसरा नम्बर 17 का नक्शा व नकल जमाबन्दी
12.	प्रदर्श पी–13	पुलिस बयान सुमेरसिंह
13.	प्रदर्श पी–14	पुलिस बयान पेमाराम
14.	प्रदर्श पी–15	पुलिस बयान देवीसिंह
15.	प्रदर्श पी–16	फर्द इत्तला मुखबिर
16.	प्रदर्श पी–17	फर्द बिना वारंट तलाशी
17.	प्रदर्श पी–18	मौतबिर तलबी हेतु सुमेरसिंह को दी गई तहरीर
18.	प्रदर्श पी–19	रोजनामचा रवानगी रपट
19.	प्रदर्श पी–20	धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जब्तशुदा माल मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करने की फर्द
20.	प्रदर्श पी–21	धारा 85 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना उच्चाधिकारियों को भेजने की फर्द
21.	प्रदर्श पी–22	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बल्लाराम
22.	प्रदर्श पी–23	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर द्वारा जारी एफ.एस.एल रिपोर्ट
23.	प्रदर्श पी–24	चाक एफ.आई.आर.
24.	प्रदर्श पी–25 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
25.	प्रदर्श पी–26	अभियुक्त बल्लाराम द्वारा दी गई इत्तला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
26.	प्रदर्श पी–27	किराया चिट्ठी

6. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष बताया एवं साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की गई।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्नांकित विचारणीय बिन्दू हैं :–

- क्या दिनांक 31.03.2011 को दिन में करीब 12.00 बजे थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट को मिली सूचना पर अभियुक्त बल्लाराम की कोलू पाबूजी मेगा हाइवे पर स्थित महादेव होटल पर नियमानुसार तलाशी लिये जाने पर प्लास्टिक के एक कट्टे में कुल 09 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र/परमिट के बरामद किया गया, एतद्द्वारा अभियुक्त बल्लाराम ने धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया अथवा नहीं ? यदि हाँ तो उचित सज़ा क्या होगी ?

8. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाए। जबकि अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि अभियुक्त के सचैतन कब्जे से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण में बरामदगी स्वतंत्र मौतबरिान के समक्ष की गई है लेकिन दोनों स्वतंत्र मौतबिर पक्षद्रोही हुए हैं , जिन्होंने अभियुक्त बल्लाराम से पुलिस द्वारा डोडा पोस्त की बरामदगी करने से इन्कार किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। प्रकरण में जब्तशुदा नमूना सैम्पल 72 घंटों के भीतर एफ.एस.एल. जांच हेतु नहीं भेजे गये तथा धारा 52 ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत सत्यापन की कार्यवाही भी नहीं करवाई गई है तथा जब्तशुदा वजह सबूत को साक्ष्य के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बरामदगी स्थल होटल अभियुक्त के कब्जे अथवा स्वामित्व का था, इस बिंदु को अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। बहस के समर्थन

में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जिनका अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया :–

(1.) 2026(2) Cr.L.R (Raj.) 1003 State of Rajasthan VS. Bhanwar Singh & Ors.

(2.) 2009(6) Scale 400 State of Punjab VS. Malkiyat Singh.

(3.) 2003-04 Cr.L.R.[SC][Supp.1] 669 Jitendra & Anr. VS. State of M.P.

9. उभय पक्षों को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू–1 डूंगरसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 31.03.2011 को वह पुलिस थाना लोहावट में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज थानाधिकारी रामचंद्रसिंह को मिली मुखबिर सूचनानुसार उनके साथ वह, मोतीसिंह ए.एस.आई.व ओपाराम कानि. 11.40 ए.एम. पर रवाना होकर 12.15 पी.एम. पर कोलू पाबूजी पहुंचे। थानाधिकारी ने सुमेरसिंह कानि. को मोतबिर तलबी हेतु भेजा, जो गिरधरसिंह व मेहबूब खां को मोतबिर तलब करके लाया, जिनसे एस.एच.ओ. ने सहमति प्राप्त की एवं 12.40 पी.एम. पर महादेव होटल पहुंचे, जहां पर बल्लाराम मिला। एस.एच.ओ. ने अपनी व मोतबिर की तलाशी बल्लाराम को देकर होटल में प्रवेश कर चैक किया तो होटल में पूर्व दिशा में बने एक कमरे में डोडा पोस्त का चूरा मिला , जिसका तोल किया तो वजन 9 किलो 400 ग्राम था, जिसमें से नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल बाबत् 500–500 ग्राम लेकर अलग से सील चेपा कर बाकी डोडा पोस्त को उसी कट्टे में सील बंद किया। मुलिजम को मौके पर ही गिरफ्तार कर थाना पहुंच मुकदमा दर्ज किया व माल जमा मालखाना करवाया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि सी.आई. साहब को मुखबिर की इत्तला उसके सामने नहीं मिली थी। यह सही है कि थानेदार जी ने उसके सामने राजपत्रित अधिकारियों को मौतबिर बनने हेतु नहीं कहा। होटल में काम करने वाले एक–दो व्यक्ति थे, जो पास खड़े थे। वह अभियुक्त को पहले से जानता था। उन्होंने आपस में एक–दूसरे की तलाशी नहीं की। वह गया तब बल्लाराम उसी कमरे में बैठा रहा था। कमरे के गेट खुले हुए थे। बरामदा कट्टे पर बल्लाराम का पहचान चिन्ह अंकित नहीं था, न ही बल्लाराम का नाम लिखा हुआ था। होटल की

तलाशी बाबत सर्च वारंट नहीं लिया था। कार्यवाही के दौरान अभियुक्त बल्लाराम ने भागने का प्रयास नहीं किया। होटल के पास मोतबिरों की रहवासी ढाणी नहीं है, एक किलोमीटर के दायरे में ही उनका निवास है। बल्लाराम अवैध डोडा पोस्त रखता है। सी.आई. साहब ने उसके सामने पड़ौसियों से पूछताछ नहीं की थी। कमरे के अन्दर होटल का सामान रखा था।

11. गवाह पी.डब्ल्यू–2 मेहबूब ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह बल्लाराम को नहीं जानता है । पुलिस वाले उसके घर पर सहमति के लिए आये थे। 05–06 साल पहले पुलिस वाले उसके पास होटल की तलाशी के मौतबिर बनने हेतु सहमति लेने नहीं आये थे । फर्द सहमति 01, फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–2, फर्द नजरी नक्शा प्रदर्श पी–3 एवं फर्द वजूहात गिरफ्तारी प्रदर्श पी–4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने हस्ताक्षर राजी खुशी थाने में किये थे । गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह गलत है कि करीब 5–6 साल पहले सुमेर सिंह एफ.सी. होटल महादेव की तलाशी हेतु उसे मौतबिर बनाने हेतु आया । यह गलत है कि कानि. सुमेर सिंह के आने के बाद वह व गिरधर सिंह होटल महादेव गये हो और तलाशी ली हो, जहां पर 9 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया हो । यह गलत है कि उस होटल पर ही फर्दें बनाकर वहीं पर उसके हस्ताक्षर करवाए हो। वह आठवीं तक पढ़ा है एवं कागजों पर आम तौर पढ़कर ही हस्ताक्षर करता है । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे । वह गिरधर सिंह को नहीं जानता है। वह होटल महादेव नहीं जानता है ।

12. गवाह पी.डब्ल्यू–3 डूंगरराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 31.03.2011 को पुलिस थाना लोहावट में पदस्थापित था। उस रोज एस.एच.ओ. रामचन्द्रसिंह ने मुखबिर की इत्तला मुर्तिब कर उसे बन्द लिफाफे सी.ओ. फलोदी, एडि.एस.पी. फलोदी व एस.पी. जोधपुर ग्रामीण को देने हेतु रवाना किया, जो उसने उनके कार्यालय में सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद लाकर एस.एच.ओ. को पेश की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–5 व 6 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि धारा 42

की इत्तला उसे कब दी, फर्द में समय अंकित नहीं है। प्रदर्श पी –5 व 6 में प्राप्तकर्ता दोनों अधिकारियों की सील अंकित नहीं है। यह सही है कि फर्द मुखबिर इत्तला प्रदर्श पी–5 व प्रदर्श पी–6 के साथ संलग्न नहीं है। प्रदर्श पी–5 व 6 उसे बंद लिफाफे में दी थी, जिन्हें उसने खोलकर नहीं देखा था। वह 04.00 पी.एम. पर एस.पी. कार्यालय पहुंचा था। यह सही है कि प्रदर्श पी–6 में एस.पी. साहब के द्वारा की गई प्राप्ति पर उसके द्वारा उनको देने का इन्द्राज नहीं है।

13. गवाह पी.डब्ल्यू–4 गिरधरसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह बरामदगी करवाने महादेव होटल पाबू संवरा गया था। महादेव होटल प्रताप कुमावत की थी, जिसे वह स्वयं चलाता था। बल्लाराम होटल पर उस वक्त नहीं था। बल्लाराम के कब्जे से डोडा पोस्त बरामद नहीं हुआ था। फर्द सहमति प्रदर्श पी–1, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–4, फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–2, नजरी नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–3 एवं फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–7 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके एक–दो फर्दों पर मौके पर हस्ताक्षर करवाये थे, बाकी सभी पर थाने बुलाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह गलत है कि दिनांक 31.03.2011 को उसकी उपस्थिति में अभियुक्त बल्लाराम के कब्जे से 9 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया हो । यह गलत है कि उसने मौके पर हस्ताक्षर किये हो । यह कहना गलत है कि मुलजित बल्लाराम उसके गांव का होने के कारण उसे बचाने हेतु वह झूठे बयान दे रहा हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि रामचन्द्र जी ने बताया था कि प्रताप की होटल से डोडा बरामद करना है। यह सही है कि मौके पर बहुत से आदमी बैठे हुए थे। यह सही है कि जब वे गाड़ी से उतरे तो छपरे के बाहर रखी हुई कुर्सी पर कट्टा मिला, जिसमें डोडा पोस्त था। कट्टा जुट का था, जो भूरे रंग का था। उसने थाने में खाली कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। यह सही है कि मौके पर मिले कट्टे को रस्सी से बांधकर गाड़ी में डाल दिया था। हाजिर अदालत मुलजिम को वह जानता है लेकिन उक्त व्यक्ति वक्त घटना घटनास्थल पर नहीं था तथा न ही वह थाने गया तब थाने पर था।

14. गवाह पी.डब्ल्यू-5 ओपाराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 31.03.2011 को वह पुलिस थाना लोहावट में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज वक्त 11.00 ए.एम पर रामचन्द्र सिंह थानाधिकारी को मुखबिर से इत्तला मिली कि बल्लाराम ने मेगा हाईवे, सरहद कोलू पाबूजी में आई होटल पर अवैध डोडा पोस्त बेचने हेतु लाकर रखा हुआ हैं, तुरंत दबिश दी जावे तो बरामद हो सकता हैं। उक्त इत्तलानुसार थानाधिकारी के साथ वह व अन्य जाप्ता 11.40 ए.एम पर थाने से रवाना होकर सरहद कोलू पाबूजी 12.15 पी.एम पर पहुंचे, जहां थानाधिकारी ने सुमेर सिंह को तहरीर देकर स्वतन्त्र मौतबिर तलब किये। सुमेर सिंह मेहबूब खां व गिरधर सिंह को बतौर मौतबिर तलब करके लाया, जिन्हें थानाधिकारी ने मुखबिर इत्तला से अवगत करवाकर मौतबिर रहने की सहमति प्राप्त की एवं 12.40 पी.एम. पर मेगा हाईवे पर महादेव होटल पहुंचे, जहां एक व्यक्ति मिला जिसे थानाधिकारी ने नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम बल्लाराम पुत्र जेठाराम निवासी कोलू पाबूजी बताया। उसे मुखबिर इत्तला से अवगत करवाया जाकर होटल व उसकी तलाशी की लिखित में सहमति प्राप्त की एवं होटल में प्रवेश कर तलाशी ली गयी तो एक कमरे में बोरियों के नीचे एक प्लास्टिक के कट्टे में पीसा हुआ डोडा पोस्त पाया गया। बल्लाराम से डोडा पोस्त कब्जे में रखने व विक्रय करने बाबत लाईसेन्स का पूछा तो नहीं होना बताया। कट्टे में भरे डोडा पोस्त का तोल किया तो कुल वजन 09 किलो 400 ग्राम हुआ, जिसमें 500 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल व 500 ग्राम नमूना सैम्पल लिये गये एवं बकाया डोडा पोस्त को उसी प्लास्टिक के कट्टे में सील चेपा किया। मुलजिम बल्लाराम को गिरफतार कर नक्शा नजरी बरामदगी स्थल बनाया एवं बाद कार्यवाही थाना आये। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि थानाधिकारी को मुखबिर की इत्तला मिलते ही स्टॉफ को बता दिया था कि मुखबिर की इत्तला मिली है। यह सही है कि थाने के आस-पास चिकित्सालय, बस स्टेण्ड, स्कूल आदि हुए हैं, थानाधिकारी ने वहां से किसी को मौतबिर नहीं बुलाया। उसे जानकारी नहीं है कि होटल प्रताप प्रजापत की हो। यह गलत है कि थानाधिकारी ने उन्हें बताया हो कि प्रताप प्रजापत की महादेव होटल पर डोडा पोस्त की इत्तला है। स्वतः कहा कि थानाधिकारी ने महादेव होटल की इत्तला के

बारे में बताया था। सुमेर सिंह को कोलू पाबूजी गांव में चौराहे पर गाड़ी को रोकर मौतबिर लेने भेजा था। वे लोहावट से कूशलावा, दयाकौर होते हुए मौके पर गये थे। सुमेर सिंह 10–15 मिनट बाद दोनो मौतबिर को लेकर आया था। यह सही है कि उन्होंने आपस में तलाशी का अदान प्रदान नहीं किया था, न ही उन्होंने थानाधिकारी की तलाशी ली थी। यह गलत है कि होटल पर वाहनो के चालक खाना खाने के लिए रूके हुए हो। यह सही है कि जब वे पहुंचे तब बल्लाराम काउन्टर के पास माचे पर बैठा था। होटल के सभी कमरों के शटर खुले हुए थे। उसने होटल पर काम करने वाले लोगों को वहां नहीं देखा था। यह सही है कि बल्लाराम ने उन्हें देखकर भागने का प्रयास नहीं किया था। यह सही है कि होटल की तलाशी का सर्च वारन्ट उनके पास नहीं था। कार्यवाही के दौरान रोड चलते वाहनों के चालक या पडोसी मौके पर नहीं आये थे। यह सही है कि थानाधिकारी ने होटल के स्वामित्व बाबत पूछताछ उस वक्त नहीं की थी। यह सही है कि होटल व जमीन के स्वामित्व बाबत पड़ौसियों या पटवारी से उस समय पूछताछ नहीं की थी। बल्लाराम की गिरफ्तारी की सूचना उसके सामने उसके परिवार को नहीं दी थी। धारा 42 का नोटिस उसके सामने नहीं दिया था। बल्लाराम की तलाशी थानाधिकारी ने ली थी। उसकी जेब से क्या मिला था आज याद नहीं है। बल्लाराम को वह पहले से नहीं जानता था।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–6 नरेश कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 07.4.2011 को वह पुलिस थाश्ना लोहावट में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज एच.एम भाखरराम ने नमूना सैम्पल मार्क 'ए' एफ.एस.एल. में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किया, जिसे उसने जरिए रोड संख्या 07 एस.पी. कार्यालय पहुचकर कानि. श्रवण कुमार को सुपुर्द किया। जिसने अग्रेषण पत्र तैयार करके उसे पुनः सुपुर्द किया। उसने सैम्पल विधि विज्ञाान प्रयोगशाला में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर एक प्रति एस.पी. कार्यालय में तथा असल थाने में लाकर पेश की। रोड प्रमाण प्रदर्श पी 08, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 09, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 10 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 08 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श डी 01 में एक्स स्थान पत्र जारी करने की तारीख 04.4.2011 अंकित है। यह गलत है

कि वह नमूने दिनांक 04.04.2011 को लेकर गया था उस दिन सील संबधी एतराज करके लौटा दिये हो।

16. गवाह पी.डब्ल्यू–7 किशन प्रकाश ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 13.04.2011 को वह पटवारी के पद पर पटवार हल्का मंडला कला में कार्यरत था उसके पास पटवार मंडल कोलू पाबूजी का अतिरिक्त पदभार भी था। एस एच ओ लोहावट द्वारा राजस्व ग्राम पाबू छंवरा के खसरा नम्बर 17 की नकल जमाबन्दी तथा नक्शा चाहे जाने पर उपलब्ध करवाई गई। नक्शा प्रदर्श पी 11, जमाबन्दी की नकल प्रदर्श पी 12 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उक्त जमाबन्दी अनुसार बल्लाराम का इस खेत से कोई लेना देना नहीं है। बल्लाराम उक्त खसरा नम्बर का खातेदार नहीं है। यह सही है कि पुलिस ने होटल के स्वामित्व संबंधी उससे कोई पूछताछ नहीं की।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–8 सुमेरसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी जमीन सरहद कोलू में है। उसकी जमीन से उत्तर दिशा में अम्बालाल व पेमाराम की जमीन आई हुई है। अम्बालाल प्रजापत की जमीन में एक होटलनुमा ढाबा बनाया हुआ है, जो पंजाब का सरदार चलाता था, जिसका नाम उसे नहीं पता। 2011 से आज तक पंजाब का सरदार ही यह ढाबा चलाता है। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 13 का हिस्सा ए से बी देने से इंकार किया। यह सही है कि बल्लाराम उसके गांव का है। यह गलत है कि दिनांक 31.03.2011 को उक्त महादेव होटल बल्लाराम ही चला रहा था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसके पड़ौस में आए खेत में बल्लाराम ने कभी भी होटल नहीं चलाई। यह सही है कि उसके पड़ौस में आया खेत अम्बाराम का है उसके खेत खसरा नम्बर 1093 है।

18. गवाह पी.डब्ल्यू–9 पेपाराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सरहद कोलू में उसकी और उसके भाई अम्बालाल के सामलाती हिस्से में जमीन आई हुई है, जिसमें उसका 1/2 हिस्सा है। उक्त जमीन पर अम्बालाल ने होटल

नहीं बनाई हुई है और न ही किराये पर दी हुई है। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 14 का हिस्सा गवाह ने देने से इंकार किया। यह गलत है कि उक्त जमीन में अम्बालाल ने कोई होटल बनाई हो, जो बल्लाराम को किराये पर दी हुई हो और दिनांक 31.03.2011 को होटल पर बल्लाराम का कब्जा हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसके व अम्बालाल के सामलाती जमीन का खेत खसरा नम्बर 17 है जिसमें कोई होटल व ढाबा बना हुआ नहीं है। यह सही है कि उक्त खेत सुमेरसिंह व देवीसिंह के पड़ौस में नहीं आया हुआ है। यह सही है कि सुमेरसिंह के उत्तर में आया हुआ खेत के खेत खसरा नम्बर 1093 है।

19. गवाह पी.डब्ल्यू–10 देवीसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके खेत के पास थोड़ी दूरी पर अम्बालाल का खेत आया हुआ है। अम्बालाल के खेत में कोई होटल वगैरा बनी हुई उसने नहीं देखी। अम्बालाल को उसने होटल चलाते हुए नहीं देखा और न ही बल्लाराम को देखा। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 15 गवाह ने देने से इंकार किया। यह गलत है कि अम्बालाल ने अपने खेत में होटल बनाई थी, जो पहले खुद चलाता था और बाद में अपने रिश्तेदार बल्लाराम को चलाने के लिए दी थी। यह गलत है कि दिनांक 31.03.2011 को उक्त होटल बल्लाराम ही चला रहा था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उनके पड़ौस में अम्बाराम का जो खेत आया हुआ है उसके खेत खसरा नम्बर 1093 है जिसमें कोई होटल व ढाबा बना हुआ नहीं है और न ही उक्त खेत किसी को किराये पर दिया हुआ था।

20. गवाह पी.डब्ल्यू–11 रामचंद्रसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 31.03.2011 को वह पुलिस थाना लोहावट में एस.एच.ओ. के पद पर तैनात था। उस दिन लगभग 11.00 बजे उसे मुखबिर से सूचना मिली कि कोलू पाबूजी स्थित महादेव होटल का संचालक बल्लाराम अपनी होटल में अवैध डोडा

पोस्त बेच रहा है तथा दबिश देने पर भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद हो सकता है। उक्त सूचना को उसने रोजनामचा में अंकित कर विशेष वाहक के साथ उच्चाधिकारियों को सूचना प्रेषित की तथा फर्द बिना वारंट तलाशी तैयार की। वह ए.एस.आई. मोतीसिंह, कानि. ओपाराम, कानि. डूंगरसिंह तथा चालक सुमेरसिंह के साथ सरकारी जीप से 11.40 ए.एम. पर रवाना होकर 12.15 पी.एम. पर कोलू पाबूजी पहुँचा। वहाँ सुमेरसिंह को स्वतंत्र मौतबीर बुलाने हेतु भेजा गया, जो गिरधरसिंह एवं महबूब खां को लेकर आया। दोनों को मुखबिर सूचना से अवगत करवाकर मौतबीर रहने की सहमति प्राप्त की गई। पुलिस जाब्ता व मौतबीरान के साथ 12.40 बजे महादेव होटल पहुँचे,जहां होटल के कमरा नम्बर 01 में एक व्यक्ति मिला, जिसने अपना नाम बल्लाराम तथा स्वयं को होटल का मालिक बताया। उसे मुखबिर सूचना से अवगत करवाकर उसकी तथा होटल की तलाशी हेतु सहमति प्राप्त की गई। तलाशी के दौरान कमरे के उत्तर–पूर्वी कोने में रखे एक सफेद कट्टे से डोडा पोस्त का पीसा हुआ चूरा बरामद हुआ। डोडा पोस्त के पीसे हुए चूरे को अपने कब्जे में रखने बाबत परमिट या अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछने पर बल्लाराम ने कोई परमिट नहीं होना बताया। डोडा पोस्त का वजन करने पर 9 किलो 400 ग्राम पाया गया, जिसमें से 500–500 ग्राम नमूना सैम्पल तथा कंट्रोल सैम्पल अलग निकालकर कपड़े की थैलियों में सीलबंद कर मार्क A व B अंकित किये गये। शेष 8 किलो 400 ग्राम पदार्थ को उसी कट्टे में सीलबंद कर मार्क C अंकित किया गया। मौके पर फर्द बरामदगी व फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–7 तैयार की गई। बल्लाराम को गिरफ्तार किया। फर्द इत्तला मुखबिर प्रदर्श पी–16, फर्द बिना वारंट तलाशी प्रदर्श पी–17, मौतबीर बुलाने की तहरीर प्रदर्श पी–18, फर्द सहमति मौतबीर प्रदर्श पी –1, रवानगी रपट प्रदर्श पी–19 तथा फर्द वजुहात गिरफ्तारी प्रदर्श पी–4 पर उसके हस्ताक्षर है। मौके से 04.15 पी.एम. पर थाना लोहावट पहुँच मुकदमा संख्या 48/2011 दर्ज किया तथा अनुसंधान सीताराम, एस.एच.ओ. जाम्बा को सुपुर्द किया। जब्त माल को मालखाना इंचार्ज हैड कानि. भाखरराम को फर्द प्रदर्श पी–20 के माध्यम से जमा करवाया। धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रदर्श पी–5 तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 उच्चाधिकारियों को भेजी गई। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–22, एफ.एस.एल.

से संबंधित अग्रेषण पत्र प्रदर्श–1, रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–8, एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी –9, एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी –10, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–23 एवं चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–24 पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण की पत्रावली बाद अनुसंधान उसे प्राप्त हुई।

नोटः– गवाह के बयान रोजनामचा, मालखाना रजिस्टर व जब्तशुदा माल के अभाव में रिजर्व रखे गये लेकिन इसी दौरान गवाह की मृत्यु हो जाने से दिनांक 17.02.2026 को गवाह की तलबी बंद की गई।

21. गवाह पी.डब्ल्यू–12 मोतीसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 31.03.2011 को वह पुलिस थाना लोहावट में ए.एस.आई. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी रामचन्द्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि कोलू पाबूजी स्थित महादेव होटल में बल्लाराम अवैध डोडा पोस्त बेच रहा है। सूचना पर वह थानाधिकारी एवं अन्य पुलिस जाब्ते के साथ 11.40 ए.एम. पर रवाना होकर 12.15 पी.एम. पर कोलू पाबूजी पहुँचा। थानाधिकारी द्वारा सुमेरसिंह को मौतबिर तलब कर लाने हेतु तहरीर देने पर वह मेहबूब खां व गिरधर सिंह को तलब कर लाया, जिन्हें सूचना से अवगत करवाकर 12.40 पी.एम. पर महादेव होटल पहुंचे, जहां एक व्यक्ति मिला, जिसने नाम–पता पूछने पर अपना नाम बल्लाराम पुत्र जेठाराम निवासी कोलू पाबूजी बताया। उससे होटल एवं स्वयं की तलाशी हेतु लिखित सहमति प्राप्त की गई तथा नियमानुसार होटल की तलाशी के दौरान एक कमरे में बोरियों के नीचे रखे प्लास्टिक के कट्टे से पीसा हुआ डोडा पोस्त बरामद हुआ, बल्लाराम को डोडा पोस्त कब्जे में रखने बाबत लाइसेंस या परमिट का पूछने पर उसने नहीं होना बताया। डोडा पोस्त का तोल किया तो कुल वजन 9 किलो 400 ग्राम पाया गया, जिसमें से 500 ग्राम नमूना एवं 500 ग्राम कंट्रोल सैम्पल अलग निकालकर सीलबंद कर मार्क ए, बी अंकित किए गए तथा शेष डोडा पोस्त को भी सीलबंद किया गया। बल्लाराम को गिरफ्तार कर बरामदगी स्थल का नक्शा बनाया गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि बल्लाराम की व्यक्तिगत तलाशी से कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई। यह सही है कि उक्त बरामदा माल बरामदगी स्थल पर बल्लाराम द्वारा रखते हुए देखने की कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य उसके सामने नहीं आई थी। यह सही है

कि दौराने कार्यवाही उसके सामने बल्लाराम के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ था। यह सही है कि बरामदगी स्थल वाली होटल पर बल्लाराम का नाम अंकित नहीं था। होटल अम्बालाल प्रजापत की हो तो उसे जानकारी नहीं तथा जिसका संचालन प्रताप प्रजापत और बलवंत प्रजापत करते हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि मौके पर किसी मजिस्ट्रेट को बुलाकर कोई सैम्पल नहीं लिये थे।

22. गवाह पी.डब्ल्यू–13 भाकरराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 31.03.2011 को पुलिस थाना लोहावट में मालखाना इंचार्ज था। उस रोज थानाधिकारी ने सीआर नंबर 48/11 में बरामदशुदा अवैध डोडा पोस्त के पैकेट मार्क ए, बी, सी मालखाना में जमा करने हेतु उसे सुपुर्द किये थे। उक्त पैकेट मार्क 'ए' में रासायनिक परीक्षण हेतू 500 ग्राम डोडा पोस्त, मार्क बी पैकेट में कंट्रोल सैम्पल हेतू 500 ग्राम डोडा पोस्त, मार्क सी पैकेट में शेष 8 किलो 400 ग्राम सील चेपायुक्त थे, जो उसने मालखाना रजिस्टर के संख्या 90 पर जमा किये थे। पैकेट मार्क ए को एफ.एस.एल. हेतु कागजात तैयार कर कानि. नरेश कुमार के साथ जरिये रोड बुक संख्या 07 दिनांक 07.04.11 एस.पी. कार्यालय रवाना किया, जिसने एस.पी. कार्यालय से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर एफ.एस.एल. में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद संख्या 81/11 उसे लाकर दी। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–25 व प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–25ए, रोड बुक प्रदर्श पी–8 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी –25 में उसके मालखाना इंचार्ज के रूप में तथा जमाकर्ता एसएचओ के हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि इस प्रकरण नमूने 72 घंटे के भीतर एफ.एस.एल. कार्यालय भेजने हेतु डिस्पेच नहीं किये। यह सही है कि प्रदर्श डी –1 के मार्फत उसने नमूने एफ.एस.एल. भेजे थे। यह सही है कि प्रदर्श डी–1 में नमूने मालखाना से दिनांक 04.04.11 को डिस्पेच कर भेजने का उल्लेख है। यह गलत है कि दिनांक 04.04.11 से 07.04.11 तक नमूने उसके कब्जे में नहीं रहे हो। उसे ध्यान नहीं कि दिनांक 04.04.11 को नमूने एस.पी. कार्यालय गये हो और सील सम्बन्धी एतराज आया हो। दिनांक 04.04.11 को नमूने एस.पी. कार्यालय भेजे गये थे

जिसका एतराज का इंद्राज मालखाना रजिस्टर में नहीं किया गया था स्वतः कहा कि रोजनामचा में इसका इंद्राज है।

23. गवाह पी.डब्ल्यू–14 श्रवण कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 07.04.2011 को अपराध शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जोधपुर ग्रामीण में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन पुलिस थाना लोहावट से कानि. नरेश कुमार ने प्रकरण संख्या 48/2011 में जब्तसुदा अवैध डोडा पोस्त का नमूना सैम्पल मय कागजात एफ.एस.एल. में जमा करवाने हेतु लेकर आया, जिस पर उसने अग्रेषण पत्र तैयार कर शाखा प्रभारी के हस्ताक्षर करवाकर उक्त सील बंद पैकेट मय कागजात कानि. नरेश को पुनः सुपुर्द किये, जिसने पैकेट एफ.एस.एल. में जमा करवाकर जमा रसीद की फोटो प्रति उसे सुपुर्द की। मूल अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–9, रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–8 व एफ.एस.एल. की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि कानि. नरेश जो नमूना सैम्पल लेकर आया था वह सैम्पल एस.पी. साहब को चैक नहीं करवाया था। यह सही है कि उक्त प्रकरण के नमूने बरामदगी के 7 दिन बाद एस.पी. ऑफिस लेकर आये थे। यह सही है कि उक्त प्रकरण के नमूने 72 घण्टों के भीतर विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं पहुंचे थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 09 पर एस.पी. कार्यालय की सील मोहर अंकित नहीं है।

24. गवाह पी.डब्ल्यू–15 सीताराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 31.03.2011 को पी.एस जांबा में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज पी.एस लोहावट के मुकदमा संख्या 48/2011 की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए थे। अभियुक्त बल्लाराम का पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया एवं अभियुक्त द्वारा जिस व्यक्ति से अफीम डोडा पोस्त चुरा खरीद कर लाया गया उस स्थान की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 26 मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की। जब्तीकर्ता थानाधिकारी लोहावट व अभियुक्त बल्लाराम की निशादेही पर बरामदगी स्थल का मौका तस्दीक किया गया। बरामदगी स्थल होटल के मालिकाना हक बाबत् पटवारी पटवार मण्डल कोलू पाबूजी से भूमि का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 11 व जमाबंदी की नकल प्रदर्श पी–12

प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए । उक्त होटल व भूमि अम्बालाल व पेमाराम प्रजापत, निवासी कोलू पाबूजी की होना ज्ञात हुआ, जिस पर अम्बालाल से पूछताछ कि तो उसने किराया चिठ्ठी प्रदर्श पी 27 पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई । प्रकरण के भेजे गए नमूने सैम्पल से सबंधित रोड़ सर्टिफिकेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र व एफ.एस.एल. की प्राप्ति रसीद तथा एफ.एस.एल. लिंक गवाहान के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए गए। गवाह पेमाराम तथा घटनास्थल के पड़ोसी गवाह देवीसिंह व सुमेरसिंह, धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना के वाहक कानि. डूंगरराम के बयान लेखबद्ध किए गए। मुखबिर इत्तला, आमद रवानगी रोजनामचा की नकल रपट, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई। हल्का पटवारी के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। अनुसंधान से उसने अभियुक्त बल्लाराम के विरूद्ध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का जुर्म प्रमाणित मानकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः थानाधिकारी पी.एस. लोहावट को प्रेषित की। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि जब बल्लाराम द्वारा धारा 27 की इत्तला दी गई थी उस समय अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में था। यह सही है कि प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 10 के अनुसार नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दिनांक 07.04.2011 को पहुंचे थे। यह सही है कि नमूने बरामदगी के 72 घण्टों के भीत्तर विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं पहुंचे थे। नमूने उसके द्वारा जमा नहीं करवाये गए थे बल्कि थानाधिकारी पी.एस. लोहावट द्वारा जमा करवाये गए थे। यह सही है कि बरामदगी स्थल महादेव होटल जिस खेत में स्थित था वह पेमाराम व अंबालाल का संयुक्त खातेदारी का खेत था। यह सही है कि दौराने अनुसंधान उसने अंबालाल के बयान लेखबद्ध नहीं किए थे, स्वतः कहा की अंबालाल से किराया चिठ्ठी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी जो उसके हिस्से की जमीन में बरामदगी स्थल होटल बना हुआ था। यह सही है कि पेमाराम के हिस्से की जमीन पर बरामदगी स्थल होटल नहीं बना हुआ था। यह सही है कि जिस कमरे से बरामदगी हुई थी, वह खुला स्थान था। यह सही है कि होटल बल्लाराम के किराये पर ले रखी हो ऐसा रसद विभाग द्वारा फुड का लाईसेंस

उसने दौराने अनुसंधान प्राप्त नहीं किया था। यह सही है कि किरायानामा के गवाहान के बयान उसने अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध नहीं किए ।

25. प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आक्षेप है, उक्त आरोपों को अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है क्योंकि प्रकरण में बरामदगी की कार्यवाही पुलिस थाना लोहावट के थानाधिकारी रामचन्द्रसिंह द्वारा की गई है। बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू-11 रामचद्रसिंह ने न्यायालय में परीक्षण के दौरान कथन किया है कि दिनांक 31.03.2011 को 11.00 ए.एम. पर उसे जरिये मुखबिर सूचना मिली कि सरहद कोलू पाबूजी हाइवे पर स्थित महादेव होटल का संचालक बल्लाराम अपनी होटल में अवैध डोडा पोस्त बेच रहा है, दबिश दी जाने पर भारी मात्रा में डोडा पोस्त मिल सकता है। उसने मुखबिर की इत्तला को रोजनामचा में अंकित किया एवं कानि. डूंगरराम के साथ उच्चाधिकारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित की गई।

26. बरामदगीकर्ता के कथनों की पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू-3 डूंगरराम के कथनों एवं प्रदर्श पी-16, प्रदर्श पी- 5 व 6 के अवलोकन से होती है, गवाह डूंगरराम ने बयानों में पुष्टि की है कि दिनांक 31.03.2011 को थानाधिकारी रामचन्द्रसिंह ने मुखबिर की इत्तला उसे सी.ओ. फलोदी, एडि. एस.पी. फलोदी, व एस.पी. जोधपुर ग्रामीण को देने हेतु रवाना किया, जो उसने उनके कार्यालय में सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद एस.एच.ओ. को लाकर पेश की। इस सम्बन्ध में प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी-5 पर एडि.एस.पी. फलोदी द्वारा दिनांक 31.03.11 को मुखबिर सूचना प्राप्ति का पृष्ठांकन अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत मुखबिर सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई है।

27. बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू-11 रामचन्द्रसिंह ने बयानों में कथन किया है कि मुखबिर इत्तला उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाने के पश्चात फर्द बिना वारण्ट तलाशी की फर्द मुर्तिब कर वह मय जाब्ता 11.40 ए.एम. पर थाने से रवाना होकर कोलू पाबूजी पहुंचा, जहां पर स्वतंत्र गवाह की तलबी बाबत कानि. सुमेरसिंह को तहरीर दी गई, जो गिरधरसिंह और मेहबूब को स्वतंत्र मौतबिर तलब कर लाया, जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर मौतबिर रहने की

सहमति प्राप्त की। गवाह के कथनों की पुष्टि जाब्ता सदस्य गवाह पी .डब्ल्यू–1 डूंगरसिंह, पी.डब्ल्यू–5 ओपाराम एवं पी.डब्ल्यू–12 मोतीसिंह के बयानों एवं फर्द तलबी मौतबिर प्रदर्श पी–18, फर्द सहमति मौतबिर प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से होती है। स्वतंत्र मौतबिरान गवाहान पी .डब्ल्यू–2 मेहबूब व पी.डब्ल्यू–4 गिरधरसिंह ने फर्द सहमति मौतबिर पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

28. बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू–11 रामचन्द्रसिंह ने बयानों में यह भी कथन किया है कि मौतबिरान मेहबूब व गिरधरसिंह को मुखबिर इत्तला से अवगत करवाकर कोलू पाबूजी से रवाना होकर 12.40 पी.एम. पर होटल महादेव मेगा हाइवे पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति बैठा मिला, जिसने अपना नाम बल्लाराम तथा स्वयं को होटल मालिक होना बताया, जिसे मुखबिर की इत्तला व तलाशी बाबत कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाया जाकर तलाशी हेतु सहमति प्राप्त की एवं होटल के कमरा नम्बर–1 में प्रवेश किया तो उत्तर पूर्वी कोने में रखे एक सफेद रंग के कट्टे में पिसा हुआ डोडा पोस्त चूरा मिला। बल्लाराम से डोडा पोस्त रखने बाबत अनुज्ञा पत्र व परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। डोडा पोस्त का वजन किया तो कट्टे का कुल वजन 09 किलो 400 ग्राम था, जिसमें से 500–500 ग्राम नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लिए जाकर मार्क 'ए' व 'बी' अंकित किए तथा शेष बचे 8 किलो 400 डोडा पोस्त चूरा उसी कट्टे में डालकर मार्क 'सी' अंकित किया। फर्द बरामदगी व बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मुर्तिब किया गया तथा अभियुक्त बल्लाराम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। बरामदगीकर्ता के कथनों की पुष्टि जाब्ता के सदस्य गवाह पी.डब्ल्यू–1 डूंगरसिंह, पी.डब्ल्यू–5 ओपाराम एवं पी.डब्ल्यू–12 मोतीसिंह के सशपथ कथनों व फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–2, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–3 एवं फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–22 के अवलोकन से होती है। जाब्ता सदस्य गवाहान ने न्यायालय में परीक्षण के दौरान बरामदगीकर्ता के कथनों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि दिनांक 31.03.2011 को उनके समक्ष थानाधिकारी रामचन्द्रसिंह ने मुखबिर इत्तला पर अभियुक्त बल्लाराम की होटल पहुंचकर अवैध डोडा पोस्त को उनके समक्ष बरामद किया था।

29. हालांकि स्वतंत्र मौतबिर गवाह पी.डब्ल्यू–2 मेहबूब व पी.डब्ल्यू–4 गिरधरसिंह पक्षद्रोही घोषित हुए है एवं उन्होंने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उन्हें कोलू पाबूजी में मौतबिर बनने हेतु नहीं बुलाया था। पुलिस द्वारा उनके सामने होटल महादेव से कोई बरामदगी नहीं की गई लेकिन उक्त दोनों ही गवाह ने बयानों में स्वीकार किया है कि मौतबिर रहने की सहमति प्रदर्श पी –1, फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–2, बरामदगी स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–3 एवं फर्द वजूहात गिरफ्तारी मुलजिम बल्लाराम प्रदर्श पी –4 पर उनके हस्ताक्षर है । विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह पी.डब्ल्यू–2 मेहबूब ने यह स्वीकार किया है कि फर्दों पर हस्ताक्षर उसने राजीखुशी किये थे। गवाह पी.डब्ल्यू–4 गिरधारीसिंह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में बरामदगीकर्ता रामचन्द्रसिंह के साथ होटल पर पहुंचना स्वीकार किया है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वे पहुंचे तो बाहर छपरे में रखी कुर्सी पर कट्टा था, जिसे पुलिस ने गाड़ी में डाल लिया था। गवाह ने प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त बल्लाराम का परिचित होना भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को बरामदगी स्थल से भी दिनांक 31.03.2011 को जरिये फर्द प्रदर्श पी –22 गिरफ्तार किया गया है। इससे भी बरामदगीस्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी प्रमाणित होती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत Ramswaroop V/s NCT Delhi 2013 (14) SCC 235 & Kashmirilal V/s State of haryana 2013 (8) SCC 594 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "स्वतंत्र साक्षियों के पक्षद्रोही होने से पुलिसकर्मियों की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है।" प्रकरण में जाब्ता के सदस्यों ने बरामदगीस्थल से अभियुक्त की उपस्थिति में मादक पदार्थ जब्त किये जाने बाबत न्यायालय में परीक्षण के दौरान कथन किये हैं।

30. बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू–11 रामचन्द्रसिंह ने बयानों में यह भी कथन किया है कि बरामदगी की कार्यवाही करने के पश्चात मौके से बरामद डोडा पोस्त को थाने आकर मालखाना इंचार्ज के पास मालखाना में जमा करवाया। बरामदगीकर्ता के कथनों की पुष्टि गवाह पी .डब्ल्यू–12 भाकरराम के बयानों एवं मालखाना रजिस्टर में किये गये इन्द्राज से सम्बन्धित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति

प्रदर्श पी–25 ए के अवलोकन से होती है। गवाह भाकरराम ने बयानों में पुष्टि की है कि दिनांक 31.03.2011 को थानाधिकारी ने प्रकरण में जब्तशुदा सीलबंद पैकेट मार्क ए, बी व सी मालखाना में जमा करने हेतु उसे सुपुर्द किये, जिन्हें मालखाना में जमा कर इन्द्रोज मालखाना रजिस्टर में किया था।

31. प्रकरण में अभियुक्त से जब्त किये गये वजह सबूत से लिये गये सैम्पल रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल कार्यालय जोधपुर भेजे गये थे। इसकी पुष्टि बरामदगीकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू–11 रामचन्द्रसिंह, मालखाना इंचार्ज गवाह पी.डब्ल्यू–12 भाकरराम, सैम्पल कैरियर गवाह पी.डब्ल्यू–6 नरेश कुमार एवं पी.डब्ल्यू–14 श्रवण कुमार के कथनों एवं थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–1 ए, रोड प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–8, एस.पी. कार्यालय के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–9 तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 के अवलोकन से होती है। गवाह रामचन्द्रसिंह ने बयानों में कथन किया है कि प्रकरण में नमूना सैम्पल एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भेजने के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–1 व रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–8 पर उसके हस्ताक्षर है। मामले की एफ.एस.एल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो प्रदर्श पी–23 है, जिसे शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन कर उसके हस्ताक्षर है। गवाह पी.डब्ल्यू–12 भाकरराम ने बयानों में पुष्टि की है कि उसने मालखाना में जमा सैम्पल एफ.एस.एल कार्यालय में जमा करवाने हेतु नरेश कुमार को सुपुर्द किया। गवाह पी.डब्ल्यू–6 नरेश कुमार ने बयानों में पुष्टि की है कि वह प्रकरण में सीलबंद पैकेट मार्क 'ए' एफ.एस.एल. में जमा करवाने हेतु एस.पी. कार्यालय जोधपुर गया एवं श्रवणसिंह से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर सैम्पल एफ.एस.एल. जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की। गवाह पी.डब्ल्यू–14 श्रवणसिंह ने बयानों में पुष्टि की है कि दिनांक 07.04.2011 को पुलिस थाना लोहावट के प्रकरण संख्या 48/2011 में नरेश कुमार द्वारा सील बंद पैकेट प्रस्तुत करने पर उसने अग्रेषण पत्र तैयार कर सैम्पल पुनः नरेश कुमार को एफ.एस.एल. कार्यालय जोधपुर में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किये थे।

32. अभियोजन की ओर से प्रदर्शित रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–23 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त बल्लाराम से बरामद किये गये वजह सबूत से लिये गये सैम्पल पैकेट मार्क 'ए' सीलसुदा हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला,

जोधपुर में दिनांक 07.04.2011 को जमा हुआ था। रिपोर्ट में सैम्पल परीक्षण के नतीजे के रूप में वर्णित है कि,

The sample packed in the packet marked A was found to contain chief constituents of opium, hence the sample is of dried crushed capsules of opium poppy."

इस प्रकार रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त से बरामद वजह सबूत से लिये गये सैम्पल में opium poppy की मात्रा पाई गई थी।

33. प्रकरण में दिनांक 31.03.2011 को कार्यवाही करने के पश्चात कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत तथ्यात्मक रिपोर्ट सी.ओ. वृत फलोदी एवं पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित की गई थी, जिसकी पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू–11 रामचन्द्रसिंह के कथनों एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 के अवलोकन से होती है।

34. बरामदगी स्थल होटल अभियुक्त के आधिपत्य में थी , इसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान कथन किया है कि बरामदगीस्थल पर अभियुक्त का आधिपत्य अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू–15 सीताराम, हल्का पटवारी गवाह पी.डब्ल्यू–7 किशन प्रकाश के कथनों व खेत खसरा नम्बर–17 के नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी – 11, जमाबंदी की नकल प्रदर्श पी–12 एवं अम्बालाल द्वारा बल्लाराम को होटल किराये पर देने की किराया चिट्ठी प्रदर्श पी–27 के अवलोकन से अभियुक्त का बरामदगीस्थल पर आधिपत्य होना प्रमाणित है। गवाह सीताराम ने बयानों में पुष्टि की है कि बरामदगी स्थल होटल के मालिकाना हक के सम्बन्ध में हल्का पटवारी से नक्शा व जमाबंदी की प्रति प्रदर्श पी–11 व 12 प्राप्त की तथा होटल व भूमि अम्बालाल एवं पेमाराम की होना ज्ञात होने पर अम्बालाल से पूछताछ कर किराया चिट्ठी प्रदर्श पी–27 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। गवाह पी.डब्ल्यू–7 किशनप्रकाश ने दिनांक 13.04.2011 को राजस्व ग्राम पाबू छंवरा के खसरा नम्बर–17 की भूमि का नक्शा ट्रेस व जमाबंदी की नकल जारी करने के कथन किये हैं। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से अम्बालाल को परीक्षित नहीं

करवाया गया है लेकिन उसके भाई गवाह पी.डब्ल्यू–9 पेपाराम ने उक्त भूमि स्वयं व अम्बालाल की हिस्से की होना स्वीकार किया है। पत्रावली पर प्रदर्शित किराया चिट्ठी प्रदर्श पी–27 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अम्बालाल द्वारा स्वयं की दुकान को दिनांक 01.09.2010 को पांच वर्ष के लिये 1000/– प्रतिमाह किराये पर अभियुक्त बल्लाराम को देना प्रकट होता है। उक्त किराया चिट्ठी नोटेरी द्वारा प्रमाणित भी है।

35. अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान कथन किया है कि बरामद वजह सबूत के सम्बन्ध में धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत सत्यापन कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ बरामद होना साबित नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि प्रकरण में सत्यापन की कार्यवाही नहीं करवाई गई है लेकिन प्रस्तुत अन्य साक्ष्य से अभियुक्त के कब्जे से अवैध डोडा पोस्त बरामदगी की पुष्टि होती है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारत आम्बले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य,** आपराधिक अपील संख्या 250/2025 निर्णित दिनांक 06.01.2025 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'धारा 52 'ए' या उसके अंतर्गत स्थायी आदेश/नियमों के तहत प्रक्रिया की अपालना करना मुकदमे के लिए घातक नहीं होगा, जब तक कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियां न हो, जो अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाती हो। धारा 52ए में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में चूक मात्र एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है, जो स्वयं में जांच के दौरान एकत्रित की गई सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बना देती है। न्यायालय को समस्त परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। **मेहबूब शाह बनाम मध्यप्रदेश राज्य** के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र सत्यापन कार्यवाही नहीं करवाये जाने से प्रकरण की समस्त कार्यवाही दूषित नहीं हो जाती है। अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि बरामद वजह सबूत को परीक्षण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि बरामदगीकर्ता गवाह पी .डब्ल्यू–11 रामचन्द्रसिंह के न्यायालय में दिनांक 07.08.2018 को बयान लेखबद्ध किये गये थे और उस दिन जब्तशुदा

वजह सबूत के अभाव में गवाह के बयान रिजर्व रखे गये थे, लेकिन तत्पश्चात गवाह की मृत्यु हो जाने से साक्ष्य पूर्ण नहीं की जा सकी थी।

36. अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि प्रकरण में जब्तशुदा नमूना सैम्पल 72 घंटों के भीतर एफ.एस.एल. जांच हेतु नहीं भेजे गये, इसलिये अभियोजन का मामला संदेहास्पद है। अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि विधि का स्थापित सिद्धांत है कि मात्र नमूने एफ.एस.एल. भेजने में विलम्ब हो जाना अपने आप में अभियोजन के मामले को विफल नहीं करता, जब तक यह प्रदर्शित न हो कि उक्त विलम्ब के कारण नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना उत्पन्न हुई अथवा जब्त वस्तु की पहचान एवं श्रृंखला (chain of custody) संदिग्ध हो गई। वर्तमान प्रकरण में जब्ती, सीलबंदी, मालखाना में सुरक्षित जमा, प्रेषण तथा एफ.एस.एल. द्वारा सीलों का सही पाया जाना साक्ष्यों से सिद्ध है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में भी सील सुरक्षित एवं नमूने यथावत प्राप्त होना अंकित है। अतः मात्र 72 घंटे के भीतर नमूने न भेजे जाने के आधार पर अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है। अधिवक्ता अभियुक्त द्ारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों से भिन्नता रखना पाये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण गवाह के कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं तथा बरामदगी की कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिनियम में प्रतिपादित आज्ञापक प्रावधानों का पालन किया जाना प्रमाणित है।

37. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त बल्लाराम के विरूद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, इसलिए अभियुक्त बल्लाराम को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/15 में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

–ः **आदेश** ः–

38. अतः अभियुक्त बल्लाराम पुत्र जेताराम, उम्र–62 वर्ष, निवासी कोलू पाबूजी, पुलिस थाना लोहावट, जिला फलोदी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है, अभियुक्त बल्लाराम जमानत पर रिहा है, अतः उसके द्वारा इस न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

सजा के प्रश्न पर सुना गया ।

39. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बहस करते हुये कथन है कि अभियुक्त की उपस्थिति में उसके आधिपत्य से होटल के कमरे में छिपाकर रखा गया अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुरूप अभियुक्त को कठोरतम सजा से दंडित किया जावे।

40. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस करते हुये कथन किया है कि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त सन् 2011 से अन्वीक्षा भुगत रहा है तथा अभियुक्त वरिष्ठ नागरिक है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नरमी का रूख अपनाते हुए न्यून दण्ड से दंडित किया जाए।

41. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 33 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अनुसार प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों में परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभियुक्त की आधिपत्य की होटल के कमरे से खाली बोरियों के नीचे छिपाकर रखे हुए एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे से अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है। बरामदशुदा मादक पदार्थ डोडा पोस्त लघु मात्रा से अधिक एवं वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्ड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ः दण्डादेश ःः–

42. परिणामतः अभियुक्त बल्लाराम पुत्र जेताराम, उम्र–62 वर्ष, निवासी कोलू पाबूजी, पुलिस थाना लोहावट, जिला फलोदी (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के आरोप में दोषसिद्धि पर निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता हैः–

क्र.सं.	धारा	सजा	जुर्माना (रूपए)	जुर्माना अदा नहीं करने पर
1	8/15 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	04 वर्ष का कठोर कारावास	20,000/- (अक्षरे बीस हज़ार रूपये मात्र)	एक माह का अतिरिक्त कारावास

43. अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में अब तक पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि को मूल सजा में नियमानुसार समायोजित किया जावे। अभियुक्त का सजा वारण्ट नियमानुसार तैयार किया जाये। अभियुक्त को इस निर्णय की प्रति तत्काल निःशुल्क दी जाये।

44. प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत आर्टिकल को बाद गुजरने मियाद अपील अथवा कोई अपील नहीं होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित कमेटी नियमानुसार निस्तारण करे।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज),
फलोदी, जिला फलोदी

45. निर्णय व आदेश आज दिनांक 29.07.2026 को हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज),
फलोदी, जिला फलोदी